प्रेस नोट दिनांक 25.04.2021

थाना बहेडी, जनपद बरेली ।

थाना बहेडी #bareillypolice ने शादी समारोह में युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध एक अदद तमंचा 315 बोर मय कारतूस सहित बरामद ।

दिनांक 22.04.2021 समय 23.30 बजे को ग्राम पचपेडा मे श्री डूगर प्रसाद पुत्र विद्याराम के यहाँ शादी समारोह मे भारत पुत्र चन्द्रपाल गंगवार नि0 ग्राम पचपेडा थाना बहेडी जिला बरेली उम्र 19 वर्ष की अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ पाली पुत्र हरप्रसाद नि0 ग्राम खुटिया थाना बहेडी जिला बरेली द्वारा अवैध 315 बोर तमंचे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी थी । जिस सम्बन्ध मे दिनांक 23.04.2021 को मृतक के पिता वादी श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री नत्थूलाल नि0 ग्राम पचपेडा थाना बहेड़ी जिला बरेली के द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 249/2021 धारा 302 भादवि थाना बहेडी, बरेली बनाम हरेन्द्र उर्फ पाली पुत्र हरप्रसाद नि0 ग्राम खुटिया थाना बहेडी जिला बरेली के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । जिसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय द्वारा श्रीमान क्षेत्राधिकारी बहेडी महोदय के नेत्तृव में उपरोक्त मुकदमे की निष्पक्ष विवेचना व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक, बहेडी को निर्देशित किया गया था । श्रीमान क्षेत्राधिकारी बहेडी महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गीतेश कपिल के नेतृत्व में विवेचक व0उ0नि0 मनोज कुमार मिश्रा द्वारा मय हमराह पुलिस बल के उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ पाली उपरोक्त को आज दिनांक 25.04.2021 को गरीबपुरा तिराहे से मुखबिर खास की सूचना पर समय करीब 07.40 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया की मृतक भारत द्वारा डी.जे पर नाचने से मना व डी.जे बन्द करने को लेकर मैने तैश में आकर भारत को गोली मार दी । अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया । उक्त अवैध शस्त्र की बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ पाली उपरोक्त के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0अ0स0 251/21 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1. हरेन्द्र उर्फ पाली पुत्र हरप्रसाद नि0 ग्राम खुटिया थाना बहेडी जिला बरेली उम्र 26 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0स0 249/21 धारा 302 भादवि थाना बहेडी बरेली ।
2. मु0अ0स0 251/21 धारा 3/25 A.ACT थाना बहेडी, बरेली ।

बरामदगीः-

1. एक अदद अवैध अस्लाह 315 बोर आला कत्ल ।
2. एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर ।
3. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री मनोज कुमार मिश्रा, थाना बहेडी, बरेली ।
2. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा थाना बहेडी, बरेली ।
3. का0 112 अरूण पूनिया थाना बहेडी, बरेली ।